राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 5730/2024

नारायण लाल उर्फ नारायण नाथ पुत्र शंकर नाथ कालबेलिया, वृद्ध उम्र करीब 28 साल, निवासी भीलो की बस्ती, थाना काछोला जिला भीलवाड़ा। (वर्तमान में जिला जेल भीलवाड़ा में बंद)

----अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य, पी.पी. के माध्यम से

----प्रतिवादी

---

अपीलार्थी(गण) के लिए : श्री दीपक मेनारिया

प्रतिवादी(गण) के लिए : श्री अरुण कुमार, पीपी

---

**माननीय श्री न्यायमूर्ति राजेंद्र प्रकाश सोनी**

**आदेश**

**रिपोर्ट करने योग्य**

**03/07/2024**

1. भीलवाड़ा जिले के कछोला पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर संख्या 72/2022 के अनुसरण में गिरफ्तार याचिकाकर्ता ने उसे जमानत पर रिहा करने के लिए सीआरपीसी की धारा 439 के तहत यह आवेदन दायर किया है। याचिकाकर्ता पर आईपीसी की धारा 457, 341, 323, 363, 366, 376(2)(एन), 376-डी और पोक्सो अधिनियम की धारा 5(जी)(एल)/6 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए आरोप लगाया गया है।

2. मैंने याचिकाकर्ता के विद्वान वकील और विद्वान सरकारी अभियोजक द्वारा किए गए प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर विचार किया है और रिकॉर्ड का अवलोकन किया है।

3. मैंने मेरे सामने रखी गई सामग्री के संदर्भ में प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर गंभीरता से विचार किया है।

4. अभिलेखों के अवलोकन और प्रस्तुतियों पर विचार करने पर यह स्पष्ट है कि दिनांक 17.06.2022 को दो अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई थी और 18.06.2022 को सीआरपीसी की धारा 161 के तहत बयान दर्ज किया गया था। इसके बाद 04.11.2023 को यानी सोलह महीने बीत जाने के बाद अभियोक्ता का बयान दर्ज किया गया। जिसमें भी याचिकाकर्ता को घटना में शामिल नहीं पाया गया। परिवादी के मामले का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि उक्त अनुवर्ती बयान दर्ज होने से पूर्व अभियोक्ता स्वयं, उसके पिता व माता ने दिनांक 25.07.2023 को पुलिस अधीक्षक भीलवाड़ा के समक्ष एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, जिसमें पहली बार एक बिल्कुल अलग कहानी सामने लाई गई, जिसमें कहा गया कि पूर्व अभियोक्ता का विवाह अजय नामक व्यक्ति से हुआ था तथा विवाह के संबंध में कुछ विवाद के कारण अभियोक्ता व उसके पिता उस विवाह से छुटकारा पाना चाहते थे। इस उद्देश्य से उन्होंने एक मनगढ़ंत कहानी रची तथा स्वयं अभियोक्ता के चरित्र को बदनाम करने का प्रयास किया, ताकि अजय स्वयं अभियोक्ता को छोड़ दे तथा परिवादी का परिवार अजय को संभावित धनराशि के भुगतान की किसी भी सामाजिक जिम्मेदारी से बच सके। यह अभ्यावेदन चालान पत्रों का अभिन्न अंग है। याचिकाकर्ता के विरुद्ध उपलब्ध एकमात्र साक्ष्य विलम्बित पहचान परेड है। इस न्यायालय के सुविचारित दृष्टिकोण से याचिकाकर्ता ने अभियोजन के मामले पर प्रश्न उठाने के लिए पर्याप्त आधार का लाभ उठाया है।

5. अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री पर विचार करने के पश्चात; याचिकाकर्ता के वकील द्वारा प्रस्तुत तर्क, विशेष रूप से ऊपर वर्णित तथ्य तथा यह तथ्य कि याचिकाकर्ता 02.11.2023 से हिरासत में है; जमानत अस्वीकृति आदेश से यह पता चलता है कि याचिकाकर्ता किसी अन्य मामले में शामिल नहीं है; मुकदमे में काफी समय लगने की संभावना है तथा इन सभी पहलुओं पर ध्यान देते हुए मैं मामले के गुण-दोष में नहीं जाना चाहता, लेकिन मेरा विचार है कि याचिकाकर्ता के पास अभियोजन पक्ष के मामले पर प्रश्न उठाने के लिए पर्याप्त आधार उपलब्ध हैं तथा याचिकाकर्ता को अनिश्चित काल तक हिरासत में रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा, इसलिए मैं इस स्तर पर याचिकाकर्ता को जमानत देने के लिए इच्छुक हूं।

6. परिणामस्वरूप, वर्तमान जमानत आवेदन को स्वीकार किया जाता है और यह निर्देश दिया जाता है कि आरोपी याचिकाकर्ता नारायण लाल उर्फ नारायण नाथ पुत्र शंकर नाथ कालबेलिया, जिसे पुलिस स्टेशन कचोला, जिला भीलवाड़ा में पंजीकृत एफआईआर संख्या 72/2022 के संबंध में गिरफ्तार किया गया है, को

जमानत पर रिहा किया जाएगा, बशर्ते वह विद्वान ट्रायल कोर्ट की संतुष्टि के लिए पर्याप्त राशि के व्यक्तिगत बांड और दो जमानत बांड प्रस्तुत करे, जिसमें यह शर्त हो कि वह सुनवाई की सभी तारीखों पर और जब भी बुलाया जाए, उस अदालत के समक्ष उपस्थित होगा। यह आदेश इस शर्त के अधीन है कि अभियुक्तगण अपनी रिहाई के 7 दिनों के भीतर तथा जमानत प्रस्तुत करने वाले जमानतदार, शपथ पत्र के रूप में अपने सभी बैंक खातों का विवरण, बैंक एवं शाखा का नाम, प्रस्तुत करेंगे तथा अपने आधार कार्ड की सुपाठ्य प्रति तथा बैंक पास बुक के प्रथम पृष्ठ की प्रति प्रस्तुत करेंगे, ताकि भविष्य में धारा 446 सीआरपीसी के तहत जुर्माना राशि की वसूली सुचारू रूप से की जा सके।

**(राजेंद्र प्रकाश सोनी),जे**

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।
अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।